

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 596]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 11, 2013/अग्रहायण 20, 1935

No. 596]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 11, 2013/AGRAHAYANA 20, 1935

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2013

सा.का.नि. 772(अ).-विस्फोटक (संशोधन) नियम, 2013 का प्रारूप, उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराने के पैंतालीस दिन की अवधि समाप्त होने से पहले उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 18 की उप-धारा (1) द्वारा यथा-अपेक्षित वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 405(अ), तारीख 25 जून, 2013 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था;

2. और उक्त राजपत्र की प्रतियां 25 जून, 2013 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

3. और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है;

4. अतः अब, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विस्फोटक (संशोधन) नियम, 2013 है।

(2) ये भारत के राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

5. विस्फोटक नियम, 2008 की अनुसूची 4 के भाग 2 में “क. अनुज्ञप्ति फीस और विभागीय परीक्षण” से आरंभ होकर “बाह्य अग्नि (उत्सावग्नि) परीक्षण 45,000” के साथ समाप्त हुए शब्दों के स्थान पर “फीस औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के नवीनतम उपयोक्ता फीस नोटिस (विस्फोटक) द्वारा यथाअनुबद्ध होगी” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा.सं. 22(36)/2010-विस्फोटक]

अतुल चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण की अधिसूचना संख्या का.आ. 907(अ), तारीख 29 दिसंबर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Industrial Policy and Promotion)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th December, 2013

**G.S.R. 772(E).**—Whereas the draft of the Explosives (Amendments) Rules, 2013 was published, as required by sub-section (1) of Section 18 of Explosive Act, 1884 (4 of 1884) vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) number G.S.R.405(E), dated the 25<sup>th</sup> day of June, 2013 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of forty five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

2. And, whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on 25th June, 2013;

3. And, whereas, objections and suggestions were received from the public on the said draft rules, have been duly considered by the Central Government;

4. Now, therefore, in exercise of powers conferred by Section 5 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884) the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

(1) These rules may be called the Explosives (Amendments) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Gazette of India.

5. In the Explosives Rules, 2008 in Schedule IV, in part 2, for words beginning with “A. Fees other than licence fees”.... and ending with .... “External Fire (Bonfire) Test 45,000”, the words and brackets “Fee shall be as stipulated vide Department of Industrial Policy and Promotion’s latest User Fee Notice (Explosives)” shall be substituted.

[F. No. 22(36)/2010-Expls]

ATUL CHATURVEDI, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary vide notification number GSR 907(E), dated the 29<sup>th</sup> December, 2008.